रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2007/भाद्र 20, 1929
No. 1088] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2007/BHADRA 20, 1929

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2007

का.आ.1514(अ).—जबकि केन्द्र सरकार, स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की सिफारिशों पर विचार करते हुए, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत ऐसी वस्तओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उसका कुछ प्रतिशत आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उन पटसन पैकेजिंग सामग्री में आपूर्ति अथवा वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है ।

और जबकि, उपर्युक्त अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अनिवार्य पैकेजिंग के मानदण्डों के संबंध में आदेश जारी किया जो दिनांक 9 अगस्त, 2007 के अंक संख्या 226 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

दिनांक 9 अगस्त, 2007 को संकल्प के रूप में प्रकाशित उपर्युक्त आदेश सं. 9/5/2007-पटसन को संकल्प के स्थान पर सांविधिक आदेश माना जाए ।

[फा. सं. 9/5/2007-पटसन]

भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 11th September, 2007

S.O. 1514(E).—Whereas, the Central Government under sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory use in Packing Commodities) Act, 1987 is empowered to specify such Commodities or class of Commodities or such percentage thereof shall be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material as may be specified in the order, considering the recommendations of the Standing Advisory Committee (SAC).

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers under the aforesaid Act, issued Order regarding the norms of Compulsory Packaging, which was published in the Official Gazette, *vide* Issue No. 226 dated 9th August, 2007.

The aforesaid Order dated 9th August, 2007, as published like a Resolution, bearing F. No. 9/5/2007-Jute may be treated as a Statutory Order instead of a Resolution.

[F. No. 9/5/2007-Jute]

BHUPENDRA SINGH, Jt. Secy.

3735 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.